<u>2021 का विधेयक संख्यांक 147.</u>

[दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह 14 नवंबर, 2021 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 4ख का संशोधन । 2. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 4ख की उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

1946 का 25

"परंतु उस अविध का, जिसके लिए निदेशक अपनी प्रारंभिक नियुक्ति पर पद धारण करता है, लोक हित में, धारा 4(क) की उपधारा (1) के अधीन समिति की सिफारिश पर और कारणों को लेखबद्ध करते हुए किसी एक समय पर एक वर्ष तक की अविध के लिए विस्तार किया जा सकेगा:

परंतु यह और कि ऐसे किसी विस्तार को प्रारंभिक नियुक्ति में वर्णित कालाविध सहित कुल पांच वर्ष की कालाविध पूरी होने पर अनुदत्त नहीं किया जाएगा ;"।

निरसन और व्यावृत्ति । 3. (1) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 का निरसन किया जाता है।

2021 का अध्यादेश सं. 10

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

2021 का अध्यादेश सं.

10

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अष्टाचार, कालाधन और अंतर्राष्ट्रीय वितीय अपराध का खतरा और उसका नशीली दवाओं, आतंकवाद से पेचीदा संबंध और अन्य दांडिक अपराध, राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे देश की वितीय प्रणालियों की स्थिरता को गंभीर संकट उत्पन्न करते हैं । इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक जीवन में अष्टाचार का प्राय: ऐसे लोगों के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में परिणाम होना संभाविक है, जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है । अष्टाचार की व्यापकता लोगों के उन प्रणालियों में विश्वास को क्षय करती है, जो अच्छे शासन को प्रदान करने के लिए आशयित होती हैं । इसलिए, अष्टाचार और वितीय अपराधों से प्रभावी रूप से निपटना लोगों के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को पूरा करने के लिए तथा शासन की संस्थाओं में उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है । वर्तमान में, अष्टाचार का खतरा धन शोधन से जटिल रूप से जुड़ गया है, जिसका प्रत्येक राष्ट्र द्वारा न केवल व्यष्टिक रूप से किंतु एक वैश्विक नेटवर्क के एक भाग के रूप में सामना किया जा रहा है ।

- 2. ऐसे खतरे को दूर करने के लिए कुछ वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार बहुपक्षीय वैश्विक पहलें कर रहा है । नई प्रौद्योगिकियों, कर का फायदा देने वाले स्थानों और वैश्विक महता के अन्य कारकों के कारण ऐसे नए आयाम और तकनीकें सामने आई हैं, जो इस कार्य को काफी अधिक जटिल बना देती हैं । भ्रष्टाचार, कालाधन, धन शोधन के विरुद्ध संघर्ष और अपराध के आगतों की चुनौती के कारण विश्व अर्थव्यवस्था एक चिंताजनक मोड पर है ।
- 3. भारत में भ्रष्टाचार, धन शोधन और आर्थिक अपराधों का सामना करने के लिए अन्य कार्यकलापों के साथ वर्ष 1946 से ही अनेक विधान जैसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 अधिनियमित किए गए हैं।
- 4. भारत अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधियों (भारत के संविधान का अनुच्छेद 51) का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है । इसने मई, 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय का अनुसमर्थन किया है, जो राज्य पक्षकारों से सांस्थानिक प्रबंध जैसे विनिर्दिष्ट भ्रष्टाचार रोधी निकाय से लेकर आचार-संहिता तक विभिन्न प्रकार के उपायों द्वारा भ्रष्टाचार का निवारण करने के ध्येय से प्रभावी नीतियां बनाने की और सुशासन का संवर्धन करने के लिए नीतियों, विधि के शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की अपेक्षा करता है । अभिसमय, भ्रष्टाचार को रोकने, अन्वेषण करने और अभियोजन करने तथा साबित अपराधों के आगतों को फ्रीज करने, जब्त करने, प्रतिसंहरण करने और वापस करने को लागू होता है ।
- 5. अभिसमय के अध्याय 3 (अपराधिकरण और विधि प्रवर्तन) का अनुच्छेद 36 इस संबंध में विशेषज्ञ प्राधिकरणों को विहित करता है । अध्याय 3 के अधीन अनुच्छेदों के कार्यान्वयन की बाबत समकक्षों द्वारा भारत की समीक्षा की गई और भ्रष्टाचार तथा धन शोधन अपराधों के अन्वेषण और अभियोजन के कार्य को करने वाले विधि प्रवर्तन

अभिकरणों को और सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाने की तथा अंतर-अभिकरण समन्वय को सुदृढ़ करने की सिफारिश की गई है।

- 6. भारत की प्रास्थिति भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित कार्यों को देखने वाले अभिकरणों में क्षमता और संसाधनों में महत्वपूर्ण वृद्धि की अपेक्षा करती है । इसके अतिरिक्त, कितपय परिस्थितियों के अधीन राष्ट्र महत्वपूर्ण मामलों में कितपय संवेदनशील अन्वेषण और विधिक प्रक्रियाओं का सामना करते हैं, जिनमें भगौड़े अपराधियों का प्रत्यावर्तन अपेक्षित होता है, जिसमें सतता की आवश्यकता होती है, इस पर विचार करते हुए कि प्रवर्तन निदेशक और निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टाचार और धन शोधन के विरुद्ध वैश्विक आंदोलन का एक सुसंगत और महत्वपूर्ण भाग हैं, उनकी पदाविध को निर्वधित करने की कोई संभावना कितपय परिस्थितियों में इस उद्देश्य को विफल कर सकती है । इसके अतिरिक्त, उसी समय यह भी युक्तियुक्त है कि स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए ऐसी नियुक्तियों में पदाविध की नियत ऊपरी सीमा होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त, ऐसी वैश्विक आकिस्मकताओं के भविष्य में उदभूत होने की प्रत्येक संभावना है और इसलिए ऐसी आकिस्मकताओं का जब कभी वह उदभूत होती हैं, सामना करने के लिए कितपय अंतर्निहित सुरक्षोपायों के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 में संशोधन आवश्यक होते हैं ।
- 7. प्रवर्तन निदेशालय के पास धन शोधन के मामलों के अन्वेषण की एकमात्र अधिकारिता है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों के पास भ्रष्टाचार के मामलों के अन्वेषण का मुख्य दायित्व है। धन शोधन और भ्रष्टाचार कार्यकलापों में व्यक्तियों और समूहों के आपस में जुड़े होने के कारण, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों के माध्यम से अपराध और भ्रष्टाचार अंतर्सबंध से पर्दा उठाने का कार्य न केवल जटिल हो जाता है किंतु इसके अंतर्राष्ट्रीय परिणाम भी हैं। अत:, ऐसे अपराधों का अन्वेषण दोनों अन्वेषण अभिकरणों से सुदृढ़ प्रक्रिया और पर्याप्त दीर्घ पदाविधयों के लिए ज्येष्ठ कार्मिकों के पद पर होने की अपेक्षा करता है। इस प्रकार, ज्येष्ठ अधिकारियों, विशेषकर दोनों अभिकरणों के प्रमुखों से सक्षमता और संसाधनों में निगरानी करने के लिए वृद्धि करने की अपेक्षा करता है, जो कि प्रस्तावित पुन:सुदृढ़ करने का आधारभूत है। यह सुदृढ़ता से अनुभव किया गया है कि इसी तर्ज पर प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों के प्रमुखों की सुनिश्चित दीर्घाविध अत्यधिक रूप से वांछनीय है।
- 8. इस पर विचार करते हुए कि साधारणतया प्रमुख देशों में दीर्घ पदाविधयां एक स्थापित व्यवहार हैं, दो वर्ष की पदाविध न्यूनतम होनी चाहिए । तथापि, हमारे मामले में अनेक कारकों की वजह से, जिसके अंतर्गत ज्येष्ठता और पद क्रम के मुद्दे सिम्मिलित हैं, व्यिष्टिकों के उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के पास नियुक्ति किए जाने के कारण, दो वर्ष की पदाविध, वास्तव में ऊपरी सीमा बन गई है ।
- 9. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी को सरकार के दो महत्वपूर्ण अन्वेषण अभिकरणों की अध्यक्षता करने वाले अधिकारियों की पदावधि का उचित रूप से विनिश्चय करने और परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करते हुए लोक हित को अंतर्वलित करने वाले संवेदनशील मामलों का पर्यवेक्षण करने के लिए विनिश्चय करने में पर्याप्त अवसर देते

हुए, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 में पदावधि और नियुक्ति की पदावधि और पदावधि की ऊपरी सीमा में स्पष्ट समर्थकारी परिकल्पनाओं का उपबंध करना अनिवार्य है । उक्त समर्थकारी उपबंध किसी दिए गए समय में पद की अत्यावश्कताओं पर निर्भर करते हुए, पदावधि की निरंतरता को सुनिश्चित करते हैं और भारसाधक व्यक्तियों द्वारा धारित संवेदनशील स्थिति की शुचिता और स्वतंत्रता को सुरक्षित करना भी सुनिश्चित करते हैं तथा यह किसी अन्य निर्वचन की संभावना को भी दूर करेंगे ।

- 10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और किसी प्रतिकूल निर्वचन को दूर करने के उद्देश्य से तथा एक विनिर्दिष्ट उपबंध करने की दृष्ट से, पिरिस्थितियों की अत्यावश्यकताओं पर निर्भर करते हुए, सक्षम प्राधिकारी को सरकार के महत्वपूर्ण अन्वेषण अभिकरण की अध्यक्षता और लोक हित को अंतवर्लित करने वाले संवेदनशील मामलों का पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारी की पदाविध का चयन करने में निश्चय करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 में पदाविध के संबंध में स्रम्पष्ट समर्थकारी उपबंध प्रदान करना अनिवार्य है।
- 11. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 4ख की उपधारा (1) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों के निदेशक की नियुक्ति से व्यौहार करती है, जो यह उपबंध करती है कि—"निदेशक, उसकी सेवा की शर्तों से संबंधित नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उस तारीख से जिसको वह पद ग्रहण करता है, दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिए पद धारण करता रहेगा"।
- 12. संसद् सत्र में नहीं थी तथा इस संबंध में विधान की तुरंत आवश्यकता थी, 14 नवंबर, 2021 को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का अध्यादेश सं. 10) प्रख्यापित किया गया था ।
- 13. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021 जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का अध्यादेश 10) को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे धारा 4ख का संशोधन करके उसमें दो परंतुक अंतःस्थापित किए जा सकें।
 - 14. विधेयक पूर्वीक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है।

नई दिल्ली ; 1 दिसंबर, 2021 डा. जितेन्द्र सिंह

उपाबंध

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम ,1946)1946 का अधिनियम संख्यांक 25(से उद्धरण

* * * * *

निदेशक की सेवा के निबंधन और शर्तें । 4ख) .13सकी सेवा की शर्तों से संबंधित नियमों में किसी प्रतिकूल बात ,निदेशक (के होते हएभीदो वर्ष से अन्यून अवधि के ,3स तारीख से जिसको वह पद ग्रहण करता है , लिए पद धारण किए रहेगा ।

* * * * *